

UP Board BchYg Class 8 Sanskrit Chapter 17 रक्षत बालिका: पाठयत बालिका:

शब्दार्थः-चतुर्विंशति = चौबीस, संवर्द्धनार्थ = संवर्द्धन के लिए, भारतसर्वकारस्य = भारत सरकार की, न प्राप्यते = नहीं मिलता है, न प्रेष्यन्ति = नहीं भेजते हैं, षड्वर्षतः चतुर्दशवर्षपर्यन्तस्य , = छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की, जायते = उत्पन्न होती है।

हिन्दी अनुवाद-

शिक्षिका- सुप्रभात छात्रा!

छात्राएँ- सुप्रभात महोदया!

शिक्षिका- आज क्या तारीख है?

बालिकायें- आज जनवरी महीने की चौबीस तारीख है।

शिक्षिका- यह तारीख “राष्ट्रीय बालिका दिवस” इस रूप में प्रति वर्ष आयोजित की जाती है।

बालिकायें- ‘राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या अभिप्राय है, कृपा करके समझाइए।

शिक्षिका- सुनो! बालिकाओं के संवर्द्धन के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय के द्वारा सन् 2008 में प्रतिवर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने के लिए निर्णय किया गया।

बालिकायें- महोदया! यह राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन क्यों होता है?

शिक्षिका- भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए यह संकल्प है।

बालिकायें- महोदया! हमारे गाँवों में अब भी बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता है। अब भी प्रायः अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है?

शिक्षिका – आपके द्वारा ठीक कहा गया है। इसके लिए सरकार दिन-रात प्रयत्शील है। भारत-सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनायें संचालित की गयी हैं।

बालिकायें- हम भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं।

शिक्षिका- सुनिये! बालिकाओं की शिक्षा के लिए तो पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गयी है जिसमें छः वर्ष से लेकर चौदह वर्ष तक के आयु वर्ग की बालिकायें विद्यालय परिसर में पढ़ती और रहती हैं। और जो बालिकाएँ किसी भी कारण से पहले ही अध्ययन से विरत हो जाती हैं, उनका भी इस विद्यालय में प्रवेश हो जाता है।

रचना – महोदया बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना है?

शिक्षिका- हाँ! वास्तव में बालिकायें आर्थिक रूप से सबला हों, इस (बात) को उद्देश्य करके ‘सुकन्यासमृद्धि योजना प्रचलित है। इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा-विवाह आदि के लिए उनकी धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था है।

छात्राएँ – महोदया इसके अतिरिक्त बालिका शिशुओं के लिए भी कोई योजना प्रचलित है?

शिक्षिका – है, तो! बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक ‘धनलक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। इस योजना में जब कोई बालिका शिशु पैदा होता है, तब उसका परिवार एक निश्चित धनराशि से जुड़ता है।

छात्राएँ – महोदया! भारत-सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनायें संचालित हैं, उन्हें जानकर हम प्रसन्न हैं।